

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांक एफ 6(57)प्र.सु./अनु.3/2004(1)

दिनांक 30.10.20

आदेश

ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के क्षेत्र में निम्न लेने की प्रक्रिया में एवं राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति की क्रियान्विति में गति लाने की दृष्टि से कार्य विधि नियम 21 के अन्तर्गत एक सर्वाधिकार प्राप्त समिति एवं तकनीकी समिति के गठन की राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:-

| समिति                    | गठन                                                                                                                                                   | स्थिति         | कार्य क्षेत्र                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| सर्वाधिकार प्राप्त समिति | 1. मुख्य सचिव                                                                                                                                         | अध्यक्ष        | ई-गवर्नेन्स                  |
|                          | 2. प्रमुख शासन सचिव (विता) या उनके मनोनित प्रतिनिधि                                                                                                   | सदस्य          | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार |
|                          | 3. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग                                                                                                           | सदस्य          | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार |
|                          | 4. सचिव, योजना                                                                                                                                        | सदस्य          | योजना                        |
|                          | 5. संबंधित विभाग के सचिव                                                                                                                              | सदस्य          | संबंधित विभाग                |
|                          | 6. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मनोनित प्रमुख तकनीकी संस्थाओं तकनीकी के दो विशेषज्ञ (जैसे IIT Institutes, BITs, Pdmat, LNMIT etc) | विशेष आमंत्रित | तकनीकी                       |
|                          | 7. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग                                                                                                         | सदस्य सचिव     | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार |
| तकनीकी समिति             | 1. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग                                                                                                         | अध्यक्ष        | तकनीकी                       |
|                          | 2. सिरस्टन एनालिस्ट-विभाग                                                                                                                             | सदस्य          | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार |
|                          | 3. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष                                                                                                                      | सदस्य          | संबंधित विभाग                |
|                          | 4. मुख्य लेखाधिकारी/ संबंधित विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी                                                                                               | सदस्य          | तकनीकी                       |
|                          | 5. विभाग में सदस्यवर्षित एनालिस्ट कम प्रोग्रामर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संबंधित अन्य अधिकारी                                       | सदस्य          | तकनीकी                       |
|                          | 6. यदि आवश्यक हो तो निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मनोनित अधिकतम दो तकनीकी विशेषज्ञ                                                    | विशेष आमंत्रित | तकनीकी                       |
|                          | 7. सिरस्टन एनालिस्ट-विभाग                                                                                                                             | सदस्य सचिव     | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार |

गवर्नेन्स से संबंधित योजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन एवं प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के लिए निम्न लिखित प्रक्रिया अपनाई जावेगी:-

- ई-गवर्नेन्स परियोजना को चिन्हित करना/दिशा निर्धारित करना - सर्वाधिकार प्राप्त समिति को यह अधिकार होगा कि वह प्राथमिकता के आधार पर परियोजना चिन्हित कर उसके क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर सकेगी। सर्वाधिकार प्राप्त समिति के निर्देशन में तकनीकी समिति एक सम्भावना अध्ययन (Feasibility Study) का विवरण प्रस्तुत करेगी।
- सर्वाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण : तकनीकी समिति उस सम्भावना अध्ययन (Feasibility Study) की रिपोर्ट सर्वाधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत करेगी जिसमें योजना की तकनीकी आवश्यकताएं, वित्तीय एवं प्रशासनिक जरूरतें आदि सम्मिलित होंगी।

सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा योजना की मंजूरी : तकनीकी समिति द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण एवं योजना का गहन अध्ययन करने के पश्चात सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा योजना को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी जायेगी।

तकनीकी समिति द्वारा योजना का मूल्यांकन : निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग उक्त योजना के तकनीकी मूल्यांकन, क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं अन्य उपयुक्त तकनीक के सुझाव के लिये तकनीकी समिति को निर्देशित किया जायेगा। तकनीकी समिति अपनी रिपोर्ट निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को प्रस्तुत करेगी।

सर्वाधिकार प्राप्त समिति से योजना का अनुमोदन : निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा तकनीकी समिति की अनुशंसा को सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से सर्वाधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी।

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति : तकनीकी समिति की अनुशंसाओं के अध्ययन के पश्चात यदि आवश्यक समझे तो सर्वाधिकार प्राप्त समिति योजना को मंजूर करेगी एवं एक प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति सातवा, गठन प्रौद्योगिकी एवं संचार के स्तर पर जारी की जायेगी।

योजना का क्रियान्वयन : ई-गवर्नेन्स से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन इस संबंध में बनाई गई समिति में निहित शक्तियों के अन्तर्गत निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किया जायेगा।

निविदा की प्रक्रिया : अनुमोदित योजना के क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं अन्य मदों की कय हेतु एक कय समिति का गठन किया जायेगा। यदि आवश्यकता हो तो तकनीकी साझेदार अथवा सलाहकार की सेवाएँ भी ली जा सकेंगी। 20 लाख रुपये तक की खर्च के लिये कय निविदा पद्धति अपनाई जायेगी। परन्तु 20 लाख से अधिक की खर्च के लिए निविदा पद्धति के आधार पर तकनीकी निविदा व प्रस्तावों को आमंत्रित की जायेगी। निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग योजना के लिये आवश्यक सामान खरीदने हेतु एक विशिष्ट कय समिति का गठन किया जायेगा। जिसका अनुमोदन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार से होगा।

प्रबंधन (Monitoring) : ई-गवर्नेन्स से संबंधित अनुमोदित एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य परियोजनाओं के समय समय पर प्रबंधन करने एवं उचित दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार सर्वाधिकार प्राप्त समिति को होगा। संबंधित विभागों पर ऐसे दिशा निर्देश बाध्य होंगे।

क्रियान्वयन के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में ही उचित बजट प्रावधान उपलब्ध होना आवश्यक होगा जोस ही परियोजना का तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन, सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा कर दिया जायेगा तो यह मान लिया जायेगा कि उक्त परियोजना पूर्णतः संचालित, वित्त विभाग व आवश्यकतानुसार विशिष्ट विभाग से अनुमोदित है।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित परियोजनाओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2008 (अध्याय 2) द्वारा प्रदत्त सुझावों पर विचार किया जाना आवश्यक होगा।

उक्त सर्वाधिकार प्राप्त समिति का कार्यक्षेत्र अधिकार राज्य के सभी आई.टी. परियोजनाओं पर ही होगा जिससे यह समिति राज्य में ई-गवर्नेन्स व आई.टी. की वृहत रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य में आकलन कर इन परियोजनाओं को समाहित कर सके।

यह निर्णय 10 जारी होने के पश्चात पूर्व में जारी किये गये CTPA के गठन के आदेश संख्या F6(30)AR/Gr.3(95) dt. 29.1.1999, सरकार फॉरवर्ड कमेटी के गठन के आदेश संख्या F6(25)AR/Gr.3/2001 dt. 3.7.01 एवं सर्वाधिकारी प्राप्त समिति के गठन के आदेश संख्या F6(13)AR/Gr.3/2002 dt. 23.4.02 आदि को निरस्त समझा जाये।

544-44-04

सामाजिक और पेशेवरिक दिग्गम के माध्यम से सुचरित एवं आत्मिक  
 को प्रोत्साहित है -

1. संयोजन : संयोजन प्रणाली  
 2. संयोजन : संयोजन प्रणाली  
 3. संयोजन : संयोजन प्रणाली  
 4. संयोजन : संयोजन प्रणाली  
 5. संयोजन : संयोजन प्रणाली  
 6. संयोजन : संयोजन प्रणाली  
 7. संयोजन : संयोजन प्रणाली  
 8. संयोजन : संयोजन प्रणाली  
 9. संयोजन : संयोजन प्रणाली  
 10. संयोजन : संयोजन प्रणाली